सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस

<u>1. अपील संख्याः 01/19</u> निर्णय दिनांकः– 31–07–2019

1. गीतादेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी कुचौर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्

<u>2. अपील संख्याः 01/19</u>

1. राजूदेवी पत्नी नानूराम जाति जाट निवासी कुचौर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. नानूराम पुत्र जगनाथराम जाति जाट निवासी कुचौर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्

<u>3. अपील संख्याः 11/19</u>

1. भूराराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी कुचौर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्

4. अपील संख्याः 12 / 19

1. नेमीचन्द पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी कुचौर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्

अपीलें विरुद्व आदेश दिनांक 13—01—2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः—

1. श्री सुमेरदान बीठू, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 13—01—2017 जिसके माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से विधि विरूद्व तरीके से रास्ता स्वीकृत किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. उपरोक्त चारों पत्रावलियों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण चारों पत्रावलियों का निस्तारण एक समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति चारों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट गीतादेवी की खातेदारी भूमि ग्राम कुचौर आथूणी के खेत खसरा नम्बर 1797 / 673

तादादी 1.3400 हेक्टर, अपीलांट राजूदेवी व नानूराम की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 719 तादादी 5.58 हेक्टर, अपीलांट भूराराम की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1897/674 तादादी 3.680 हेक्टर व अपीलांट नेमीचन्द की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1898/674 तादादी 3.680 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर पूर्व में किसी प्रकार का कोई कटाणी रास्ता स्वीकृत नहीं है ना ही किसी प्रकार का कोई मार्ग चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि ग्रामवासियों को आवागमन हेतु पूर्व में ही अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत जाकर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम कुचौर आथूणी तहसील नोखा में अपीलांट्स अपीलांट गीतादेवी की खातेदारी भूमि ग्राम कुचौर आथूणी के खेत खसरा नम्बर 1797/673 तादादी 1.3400 हेक्टर, अपीलांट राजूदेवी व नानूराम की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 719 तादादी 5.58 हेक्टर, अपीलांट भूराराम की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1897/674 तादादी 3.680 हेक्टर व अपीलांट नेमीचन्द की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1898/674 तादादी 3.680 हेक्टर भूमि स्थित है, उक्त भूमि में से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित करने से पूर्व किसी भी काश्तकार को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर

पर पारित किया गया आदेश है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही पड़ौसियों के कोई बयान लिये गये ना ही रिबिटल में कुछ भी कहने का कोई अवसर प्रदान किया गया। केवल मात्र रास्ता कायम करने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है। नियमानुसार किसी की भी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया जाता है तो उस खातेदार को क्षतिपूर्ति दी जानी आवश्यक है क्योंकि उसकी खातेदारी भूमि कम की जा रही होती है। ऐसी स्थिति में खातेदार अर्थात भूमिधारक को आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे खातेदारी भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व खातेदार की सहमति/असहमति लिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन–फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। ऐसा आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता की रिपोर्ट के अनुसरण में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है वरन् ग्रामवासियों को आवागमन हेतु सुविधा ही प्रदान होगी। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का बिन्दु है इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में एकतरफा आदेश में मियांद का बिन्दु बाधक नहीं है। न्याय की यह मंशा रही है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ मियांद के बिन्दु को कण्डोन करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर सुना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प 3(2)राज–6/2003 पार्ट/04 दिनांक 10–08–2016 द्वारा राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2016 के अनुसरण में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17–09–1956 के द्वारा धारा 131 व 132 एवं 136 में प्रदत शक्तियों के अनुसरण में ग्राम कुचौर आथुणी में चल रहे प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तहसीलदार नोखा से प्राप्त होने पर काश्तकारों के खसरों में प्रचलित रास्तों को उनकी खातेदारी भूमि कि किस्म परिवर्तन करते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है।

तहसीलदार नोखा द्वारा दिनांक 24—11—2016 को चालू रास्तों को अभिलेख में अंकन हेतु पटवारी द्वारा तैयार प्रस्तावों को उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष पेश किया गया। प्रस्तावित रास्ते में पड़ने वाले खातेदारों को सूचना भी नहीं दी गई तथा राजस्व विभाग के परिपत्र के हवाले से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। आदेश में भू—राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व 136 के प्रदत शक्तियों का उल्लेख किया गया है, परन्तु उक्त प्रावधानों में प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त आदेश पारित करने का प्रावधान है। जिन खसरा नम्बर 673, 674, 719, 723 व 278 में लाल स्याही से चालू रास्ते का अंकन बताया गया है, उक्त रास्ता खसरा नम्बर 730 से जाकर बन्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ खातेदारी भूमि पर रास्ते का अंकन का कोई औचित्य नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट में भी कहीं उल्लेख नहीं है कि क्या प्रस्तावित रास्ता चालू है तथा क्या उक्त रास्ता दो गांवों या अन्य रास्तों को जोड़ता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अविवेकपूर्ण तथा विधिक प्रावधानों से असंगत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 13—01—2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रभावित खातेदारों को पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 31—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर